राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या, अपीलार्थी का नाम एवं पदनाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	आलोच्य आदेश दिनांक	अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	2618/2024 डॉ. महिमा पंवार	1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान, जयपुर। 3. प्राचार्य एवं नियंत्रक, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर।	23.08.2024	22.02.2024, 08.06.2024 एवं 13.08.2024	श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
2.	2619/2024 डॉ. सिद्धार्थ निर्वाण				

आदेश की दिनांक : 04.09.2024

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित दोनों अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन दोनों अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 2618/2024 डॉ. महिमा पंवार बनाम राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त दोनों अपीलों पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में सह आचार्य (Ophthalmology) के पद पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय मेडिकल कॉलेज कोटा किया गया तथा उक्त आदेश की अनुपालना में अपीलार्थी को आदेश दिनांक 08.06.2024 (अनुलग्नक–2) के द्वारा कार्यमुक्त कर

दिया गया, जिसको अपीलार्थी के द्वारा अधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई और अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.07.2024 के द्वारा अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन निस्तारण करने का निर्देश दिया गया और निस्तारण होने तक उक्त आलोच्य आदेश क्रियान्विति को स्थगित रखा गया। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया गया। जबकि तथ्यों पर कोई विचार नहीं किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी के संबंध में जारी किया गया आलोच्य आदेश दिनांक 13.08.2024 विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024, कार्यमुक्त आदेश दिनांक 08.06.2024 एवं आलोच्य आदेश दिनांक 13.08.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिए जावें।

हमनें अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावलियों पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन सह आचार्य (Ophthalmology) के पद पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर में कार्यरत है। अधिकरण के आदेश दिनांक 01.07.2024 की पालना में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन दिया और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 13.08.2024 के द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन को निस्तारित करते हुये खारिज करते हुये यह उल्लेख किया गया कि एनएमसी निरीक्षण के दृष्टिगत एनएमसी नार्म्स के अनुसार फैकल्टी की कमी पूर्ति किये जाने हेतु राजकीय हित में डॉ. महिमा पंवार को मेडिकल कॉलेज, जयपुर में पदस्थापित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार हमारे मत में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी किया गया आदेश दिनांक 13.08.2024 नियम एवं विधि के अनुसार उचित है, जिसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील में कोई बल नहीं होने के कारण खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर आदेश के शीर्षक तालिका में वर्णित दोनों अपीलें बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के ग्राह्यता के प्रक्रम पर खारिज की जाती हैं।

मूल आदेश अपील संख्या 2618/2024 डॉ. महिमा पंवार बनाम राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य अपील संख्या 2619/2024 डॉ. सिद्धार्थ निर्वाण में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)